

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

कमांक : एक 4 (23) लेखा / आकाशि / अनु / 2007-08 / 1702

दि 09 मई, 2007

आदेश

सत्र 2007-08 में **महिला क्षेत्र** में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय / विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	पत्रा. सं०	संस्था का नाम व पता	महाविद्यारय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	विषय एवं संकाय (स्नातक स्तर)
1	15	मनिन्द्र बाल निकेतन समिति, चानाना, तहसील विडवा, जिला झुंझुनू	मनिन्द्र गर्ल्स कॉलेज, चानाना, त. विडवा, जिला झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त अप्रयोजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजस्थानी, बोकेशनल कोर्स कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2	12	स्व.कु. लक्ष्मी बंधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, गोविन्द गाव, जि० जयपुर	स्व.कु.लक्ष्मी बंधाला गर्ल्स कॉलेज, गोविन्दगाव, जि० जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - रसायन शास्त्र, बनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेम्स्ट्री
3	20	राधाकृष्णन शिक्षण समिति, 49, लक्ष्मीनगर, श्रीगंगानगर	राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, गंगानपथ, जवाहर नगर (अरोड बंस भवन), श्रीगंगानगर	श्रीकानेर विश्वविद्यालय श्रीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य एवं बी.सी.ए.
4	6	न्यू लुक स्कूल सासायटी, न्यू लुक स्कूल, कोठारी हबेली, ओसावल बाडा, बांसवाडा	न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज, लोधा परिसर, बांसवाडा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, संगीत

- संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
- संस्था / महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों / दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
- अस्थाई परिसर में संस्था / महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष / पूर्वार्द्धकी कक्षाएं चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।